- वर्ष 2014 में **नमामि गंगे योजना (गंगा स्वच्छ करने हेतु वानिकी हस्तक्षेप)** प्रारम्भ की गई। बिहार राज्य में गंगा नदी के कुल 445 कि०मी० लम्बाई एवं इसकी सहायक नदियों यथा- सोन, घाघरा, गंडक एवं कोशी के किनारे पौधों का रोपण किया गया है। इस वर्ष बसंतकाल में 2.56 लाख पौधों को नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में लगाने का प्रस्ताव है।
- वर्ष 2014 में **साईकिल चलाओं, पर्यावरण बचाओं अभियान** प्रारंभ किया गया है।
- वर्ष 2015 में बी.एस.एस. कॉलेज, सुपौल में भी **टिशु कल्चर सह उत्पादन केन्द्र** की स्थापना की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2015 में वृक्षारोपण तथा पौधशाला कार्यों हेतु FMIS (Froest Management Information System) की व्यवस्था की गयी।
- वर्ष 2015 में e-Plantation Application के तहत वृक्षारोपण की online monitoring की व्यवस्था लागू की गयी।
- वर्ष 2015 में e-Nursery Application के तहत समस्त विभागीय पौधशालाओं की online monitoring की व्यवस्था लागू की गयी।
- वर्ष 2015 में आई.टी. सेल से GIS से सम्बन्धित कार्य वनों के मानचित्रों का डिजिटाईजेशन तथा अन्य प्रयोजनों के लिये IT कार्यों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के तहत तसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 8030 हे0 वनक्षेत्र में तसर खाद्य पादप वृक्षारोपण की योजना स्वीकृत की गयी।
- वर्ष 2015 में व्याघ्र आरक्ष के कोर क्रीटिकल क्षेत्र का कर्णांकन अधिसूचित किया गया। इको टूरिज्म की शुरुआत हुई।
- वर्ष 2015 में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को वन्यजीव प्रबंधन, पर्यटन, जू-शिक्षा के आधुनिक केन्द्र के रूप में विकसित किया गया।
- वर्ष 2015 में मगर, घड़ियाल एवं कूर्मि (टर्टल) के प्रजनन एवं पुनर्वास के लिए बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष के मदनपुर में केन्द्र स्थापना की स्वीकृत दी गयी।
- वर्ष 2015 में वरैला झील, कुशेश्वर स्थान तथा काँवर ताल के वेटलैंड एवं पक्षी अधिवास संरक्षण के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2015 में पंत आश्रयणी में राजगीर के पहाड़ियों का समग्र इको-रेस्टोरेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया गया।
- वर्ष 2015 में राज्य स्थित सभी प्रमुख औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की गयी, जिसका सर्वाधिक रुप से पर्षद द्वारा अनुसरण करने की व्यवस्था किया गया।
- वर्ष 2015 में Environment Information System स्थापित की गई है और ENVIS पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया गया।
- वर्ष 2015 में पटना शहर में पाँच स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2015 में "फ्लाई ऐश" से ईंट निर्माण इकाई की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2015 में पर्यावरण चेतना को स्कूली पाठ्यचर्या का अंग बनाये जाने के तहत पर्यावरण चेतना को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्कूली पाठ्यचर्या का अंग बनाया गया है। पर्यावरण की महत्ता के मद्देनजर राज्य के स्कूलों में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2015 में पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 101 पार्कों का निर्माण उन्नयन, रख-रखाव एवं प्रबंधन का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपा गया।

वर्ष 2015 से 2020 में किये गये कार्य

- वर्ष 2016 में देश का प्रथम ई-फॉरेस्ट मंडी शुरु किया गया, जो कि पॉप्लर पौधों एवं अन्य मिश्रित पौधे तथा औषधीय पौधों एवं लघु वन उत्पाद, लकड़ी की खरीद, आरा मशीन के मालिकों इत्यादि के विवरण के बारे में ग्राहकों को सूचित करता है।
- वर्ष 2016 में ई-टेंडर प्रणाली प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2017 में तृतीय कृषि मैप लागू हुआ। रोड मैप द्वारा प्रस्तावित भू-जल संरक्षण, वनीकरण, कृषि वानिकी एवं पार्क विकास कार्यों के माध्यम से वन संवर्द्धन, परिस्थितिकी संतुलन एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित अधिदेश (Mandates) प्राप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई।
- वर्ष 2019 में राज्य में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष (मंगुराहा एवं वाल्मीकिनगर) में टाईगर रिजर्व में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु दो दिवसीय एवं तीन दिवसीय विशेष पैकेज का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में **जल-जीवन-हरियाली अभियान** प्रारंभ किया गया। **जल-जीवन-हरियाली अभियान** के उद्देश्यों में पौधरोपण, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जनमानस को प्रोत्साहित कर उन्हें पौधरोपण में शामिल करने तथा राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आमदनी में वृद्धि करना शामिल है।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत 11,59,888 पौधों का रोपण किया गया है। दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेंचिंग की योजना की शुरुआत की गयी है। प्राकृतिक वनों के अंदर भू-जल संरक्षण एवं गारलैंड ट्रेंच से 6.69 लाख घन मी0 से अधिक वर्षा जल संग्रहित करने की क्षमता विकसित की गई है।
- वर्ष 2019 में **राष्ट्रीय बाँस मिशन** प्रारंभ किया गया। किसानों के आर्थिक आमदनी में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में कमी एवं उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु निजी एवं सरकारी गैर वन भूमि पर बाँस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाँस वृक्षारोपण, प्रसंस्करण इकाई लगाने, प्रदर्श प्लॉट बनाने आदि का कार्य प्रारंभ हुआ। बाँस वृक्षारोपण को अत्यधिक महत्व देते हुए ध्यानाकर्षण क्षेत्र के रूप में बाँस रोपण का कार्य वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के बाहर निजी भूमि पर, नहर तट और नदी तट पर किया जा रहा है।
- वर्ष 2020 में **नगर वन/नगर वाटिका योजना** प्रारंभ हुआ इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य अंतर्गत आने वाले सभी नगर परिषद/नगर निगम में उपलब्ध वनभूमि/भूमि का विकास कर आमजनों के उपयोग हेतु बनाना है। नगर वन योजना अंतर्गत 10 हे०- 50 हे० तक की भूमि एवं नगर वाटिका अंतर्गत 02 हे०-10 हे० तक का रकवा लिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अंतर्गत गया, भागलपुर बांका, रोहतास एवं गोपालगंज वन प्रमण्डलों की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2020 से अब तक किये गये कार्य

- वर्ष 2021 में राज्य में इको-टूरिज्म नीति घोषित की गयी है तथा सभी इको पर्यटन स्थलों का विकास तथा रख-रखाव किया जा रहा है।
- वर्ष 2021 में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र का अंतरिम कार्यालय पटना विश्वविद्यालय के जन्तु विभाग में प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2022 में वाल्मीकि सभागार (वाल्मीकि नगर) का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2022 में तेलहर कुंड (कैमूर) जल प्रपात में इको पर्यटन का विकास कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2022 में राज्य के प्रथम एशियन जलपक्षी गणना, 2022 (Asian Water bird Census) का सम्पादन किया गया है। राज्य में चयनित 68 आर्द्रभूमियों में पायी गयी पक्षी प्रजातियों की संख्या 202 तथा गणना की गयी पक्षियों की कुल संख्या 45173 है।
- वर्ष 2022 में बिहार राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अंदर गैर-वन इलाकों में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सूअर, जो खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान-माल के लिए खतरनाक हो चुके हैं, को आखेट/मारने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। घोड़परास और जंगली सूअर के आखेट/मारने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी- सह-ग्राम पंचायत मुखिया को प्रदत्त की गयी शक्तियाँ प्रत्यायोजन की तिथि से पाँच (05) वर्षों तक, अथवा राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये जाने तक के लिए लागू है।
- नालंदा जिले में 191.12 हेक्टेयर क्षेत्र में बिहार के पहले **'राजगीर जू सफारी'** का निर्माण किया गया है, जिसका वर्ष 2022 में **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** द्वारा उद्घाटन किया गया। वन्यजीवों के संरक्षण तथा लुप्तप्राय वन्यजीवों के प्रजनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटकों में वन्यजीवों की जानकारी उनके संरक्षण की आवश्यकता के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस जू सफारी का निर्माण किया गया है। यहां पर्यटकों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- वर्ष 2022 में "वृक्षों को मित्र बनायें योजना" प्रारंभ की गयी।
- वर्ष 2023 में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू हुआ। रोड मैप अंतर्गत **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** द्वारा हरित आवरण के विकास, सरकारी भूमि पर हरित आवरण के विकास, कृषि वानिकी, बांस रोपण, पौधशालाओं के विकास, प्राकृतिक वनों में मृदा एवं जल संरक्षण, बांस परियोजना, वानिकी में शोध एवं प्रशिक्षण, आर्द्रभूमि के संरक्षण, वन उत्पाद आधारित उद्योग के विकास, कृषि वानिकी और गैर इमारती वन पदार्थों के उत्पाद के लिए विपणन और प्रबंधन से संबंधित कार्य किये जा रहे है।
- बिहार राज्य में काँवरताल (बेगूसराय), नागी एवं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण (जमुई) आर्द्रभूमि रामसर साईट के रूप में घोषित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों जैसे गोकुल जलाशय (भोजपुर), उदयपुर झील (बेतिया) एवं गोगाबील (पूर्णिया) को रामसर साईट घोषित किये जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 12 वन प्रमंडल अंतर्गत अवस्थित 23 आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
- वर्ष 2022 में इको टूरिज्म अंतर्गत भारत में चिड़ियाघरों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के अनुसार संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना का चयन देश के प्रथम 10 उत्कृष्ट चिड़ियाघरों में किया गया है, जिसमें देश के बड़े चिड़ियाघरों के वर्ग में चैथा स्थान तथा समग्र श्रेणी में छठा स्थान प्राप्त किया है।
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण संतुलन हेतु पार्कां/उद्यानों का विस्तार/विकास तथा रख-रखाव किया जा रहा है। राजधानी में 99 पार्कों को नगर निकाय द्वारा वन विभाग को स्थानांतरित किया गया है। इसमें से अधिकांश में सुद्दढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य चल रह हैं।
- सत्र 2023-24 से राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी महाविद्यालय का नामांकन एवं पठन पाठन का कार्य प्रारंभ।

प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिहार सरकार द्वारा किये गये निम्न सार्थक प्रयास किये गये हैं-

- ईट भट्टों से जनित वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु पुरानी तकनीक पर आधारित सभी ईट भट्टों को स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित किया जा रहा है।
- वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु राज्य में 23 जिलों में कुल 35 अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- जल स्त्रोतों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने हेतु नियमावली बनायी गयी है तथा विसर्जन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
- सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- बिहार राज्य में कार्बन न्यूनीकरण विकास मार्ग कार्यक्रम का क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ MoU प्रति हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिसमें वर्ष 2040 तक बिहार राज्य को कार्बन न्यूट्रल करने का लक्ष्य रखा गया है।
- औद्योगिक इकाईयों द्वारा जहाँ कोयला, फर्नेश ऑयल आदि जैसे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग की जगह सी0एन0जी0/एल0एन0जी0/पी0एन0जी0 का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
- सोशल मीडिया/रेडियो स्पॉट/समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में प्रचार-प्रसार किया गया है।
- कोयला या लिग्राईट आधारित ताप विद्युत संयंत्रो से सृजित फ्लाई ऐश का उपयोग पर्यावरण अनुकूल प्रयोजनो के लिए किया जाता है।
- गंगा एवं इसके सहायक नदियों के किनारे बसे शहरों से जनित होने वाले घरेलू वहिस्त्राव/मलजल के शुद्धिकरण हेतु सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट एवं सीवरेज नेटवर्क की व्यवस्था की जा रही है।
- हेरिटेज ट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार राज्य के लगभग 15,514 विरासत वृक्षों का सर्वेक्षण किया गया है। विरासत वृक्षों को ऑक्सीजन के बड़े स्त्रोत एवं आम जनों में इन वृक्षों की महत्ता और उन्हें संरक्षित हेतु किया जा रहा है।

Nov. 2024

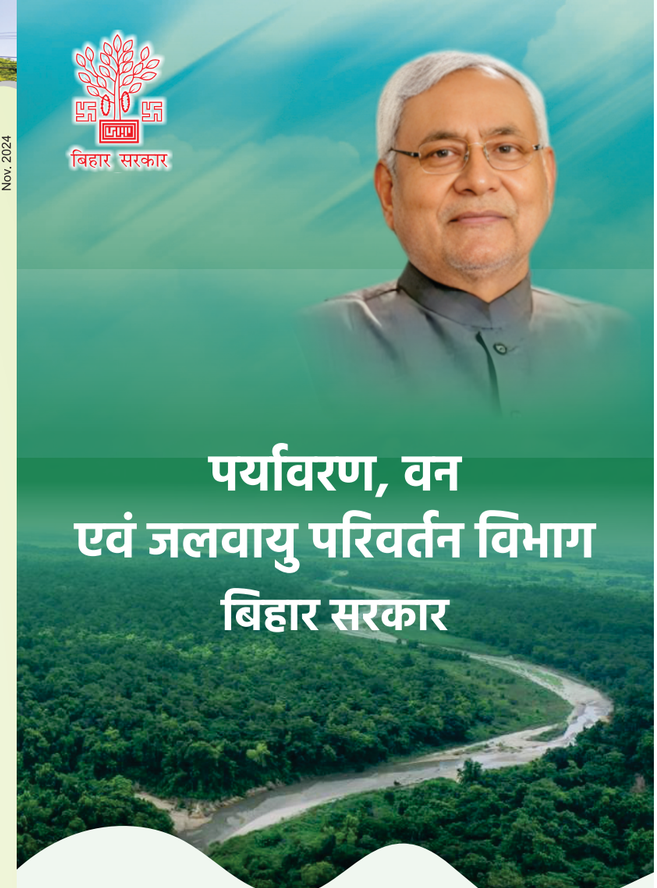

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार **बिहार के चहुंमुखी एवं सतत् विकास** हेतु पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार का एक मात्र ध्येय है **'लोगों की सेवा'**। राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य **'सतत् विकास'** को परिभाषित करते हैं। **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** ने विकास की ऐसी परिकल्पना की जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ ही उन संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रखना शामिल है। राज्य के विकास के क्रम में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि इन कार्यों से पर्यावरण को संरक्षित रखने के प्रयासों में कोई समझौता नहीं हो।

राज्य में हरित आवरण बढ़ाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही जोर रहा है। इसके लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना कर 24 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य रखा गया जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 तक 22 करोड़ पौधे लगाये गये। बाद में पौधारोपण को जल-जीवन-हरियाली अभियान का हिस्सा बनाया गया। अब जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया जा रहा है। इसके तहत अबतक 15 करोड 61 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया है। बिहार विभाजन के उपरांत राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था, जो वर्ष 2021 में बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। इस काम को तेजी से किया जा रहा है। शीघ्र ही 17 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि **जब तक जल और हरियाली है तभी तक जीवन सुरक्षित है।** जल और हरियाली के बिना चाहे मनुष्य हो या जीव-जंतु या पशु-पक्षी किसी के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिहार आपदा प्रवण राज्य है और जलवायु परिवर्तन के कारण विगत कुछ दशकों में आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों को सीमित करने तथा जल संरक्षण एवं संचयन के उद्देश्य से **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2019 को **जल-जीवन-हरियाली अभियान** प्रारंभ किया गया है। 19 जनवरी, 2020 को लगभग 18 हजार किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5.16 करोड़ लोगों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट किया। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2020 में **संयुक्त राष्ट्र** के उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन राउंड टेबल सम्मेलन में **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी** ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित जल-जीवन-हरियाली अभियान के संदर्भ में वक्तव्य दिया था। उन्होंने महात्मा गाँधी का हवाला देते हुए कहा कि **"पृथ्वी से हमें जो कुछ मिलता है वह हमारी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से प्रस्तुत **हरित बजट (ग्रीन बजट)** को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है। हरित बजट के माध्यम से बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करके पर्यावरण और जलवायु संबंधी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए **वनों के दीर्घकालिक प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण** हेतु राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।

हिमालय के तराई में स्थित बिहार राज्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिहार सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की संवदेनशीलता के विषय से भली-भांति अवगत है तथा पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने हेतु कृत संकल्पित है। नदियों एवं जल स्रोतों के लगभग सभी उद्गम स्थल प्राकृतिक वनों के अन्दर अवस्थित हैं एवं वनों की मृदा, वनस्पति काफी मात्रा में कार्बन का संचन करती है। इसलिए वनों का उद्धार/सघनीकरण आवश्यक हो जाता है। इस आलोक में बिहार सरकार मृदा एवं जल स्रोतों के संरक्षण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिसका लाभ विशेषकर वन के निकटवर्ती क्षेत्रों पर स्पष्ट रुप से दिख रहा है।

जल संसाधनों के समस्त रुप से प्रबंधन नहीं होने के कारण राज्य के बाढ़/सुखाड़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा इन कारणों से बड़े स्तर पर जनजीवन प्रभावित होता है। राज्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कर बाढ़/सूखा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में सरकार जागरूक है। कृषि वानिकी के रुप में किसानों की रैयती भूमि पर भी वृक्षारोपण कार्य कर बाढ़ के प्रभावों को कम करने का प्रयास जारी है।

वनों का आच्छादन बढ़ाने के लिये राज्य के किसानों को कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहित करने, जागरुकता फैलाने, क्षमता विकास करने, प्रदूषण नियंत्रण एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के साथ-साथ वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्द्धन का कार्य भी बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।

भूमि सतह पर अवस्थित जल स्रोतों यथा नदियों, नालों एवं नहरों के अतिरिक्त भूगर्भ जल की उपलब्धता भी राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि एवं संरक्षण में राज्य में अवस्थित प्राकृतिक आर्द्रभूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में अवस्थित सभी महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की पहचान एवं उनके संरक्षण हेतु बिहार आवश्यक कदम उठा रहा है। आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के अनुसार राज्य के 12 जिलों में अवस्थित प्रमुख 60 आर्द्रभूमियों का संक्षिप्त दस्तावेज, स्वास्थ्य कार्ड इत्यादि तैयार किया गया है तथा भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है। बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की वेबसाइट विकसित की गयी है।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में वन वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति सर्वेक्षण प्रकाशन वर्ष 2009 में 9.88 प्रतिशत आकलित था। वर्तमान में बिहार राज्य में गंगा, कोशी, महानंदा, गंडक एवं सोन नदी में डॉल्फिन सर्वेक्षण कार्य भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा वर्ष 2019 में उच्च रिज़ॉल्यूशन डेटा (Liss-IV, 5.8m) के माध्यम से राज्य का हरित आवरण लगभग 15 प्रतिशत आकलित है।

किसानों के माध्यम से कृषि वानिकी योजना के तहत् लकड़ी आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु विभागीय तथा किसानों/जीविका दीदियों की पौधशाला में उपयुक्त प्रजाति के पौधे तैयार किये जा रहे हैं। रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखण्डों में किया जा रहा है, जिससे राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार रोपण हेतु पौधे तैयार हो सके तथा इस योजना से किसानों तथा जीविका समूहों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इन पौधों को कृषि वानिकी योजना के तहत् किसानों को वितरित किया जा रहा है।

राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बनाये गये स्वच्छ वायु कार्य योजना के तहत कुल 35 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना विभिन्न शहरों में किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आमजनों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पार्कों का विकास किया जा रहा है। इको-पर्यटन के क्षेत्रों में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास तथा विस्तार किया जा रहा है। सभी जिलों में पर्यटक स्थलों को चिन्हित करते हुए विकास कार्य किया जा रहा है। राजगीर जू सफारी तथा नेचर सफारी में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे है। परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के सभी जिलों में पार्कों का विकास किया जा रहा है।

संपूर्ण राज्य की परिसीमा में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया है। जर्मन एजेंसी फॉर इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन (GIZ) भारत के सहयोग से बिहार राज्य में संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना में जलवायु परिवर्तन सीखने की प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र के वेब पोर्टल का निर्माण एवं इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है।

वर्ष 2005 से 2010

- वर्ष 2006 में वनों के विकास एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया।
- वर्ष 2006 में भारत में पहली बार **छात्र वृक्षारोपण योजना** के तहत 8 वीं से 10 वीं कक्षा के छात्रों को वृक्ष लगाने पर 100 रुपया प्रतिवर्ष दिया गया।
- बिहार राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में नर्सरी स्थापित करने की योजना है। स्कूल नर्सरी योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के संबंध में जागरूक करना एवं उनके सहयोग से पौधारोपण कार्य को बढावा देना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 145946 पौधों का रोपण किया गया है।
- वर्ष 2007 में सचिवालय मुख्य द्वार के दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण एवं पारिस्थितिक सुधार हेतु इकोपार्क का विकास किया गया।
- वर्ष 2007 में कब्रिस्तानों की खाली भूमि में वृक्षारोपण किया गया।
- वर्ष 2008 में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल राजगीर में अवकृष्ट पहाड़ी को पुनरवस्थित करने और भू-क्षरण रोकने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2008 में राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने हेतु 27 इन्सिनिरेटर की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2009 में गांगेय डॉल्फिन (Gangetic Dolphin) को National Aquatic Animal घोषित करने की कार्रवाई की गयी।
- वर्ष 2022 में डॉल्फिन सर्वे के अनुसार विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी में डॉल्फिन की संख्या 208 आकलन की गयी है।
- बिहार में वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु कुल 3550.31 वर्ग कि.मी. के प्राकृतिक वन 01 व्याघ्र आरक्ष, 01 गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी, 06 वन्यप्राणी आश्रयणी एवं 05 पक्षी आश्रयणी 02 संरक्षण आरक्ष (Conservation Reserve) तथा 01 समुदाय आरक्ष (Community Reserve) कुल 16 आश्रयणियों/व्याघ्र आरक्ष के रूप में अधिघोषित है। इनमें से तीन आश्रयणियाँ क्रमशः काँवर झील पक्षी आश्रयणी (काँवर ताल), कुशेश्वरस्थान पक्षी आश्रयणी एवं सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पक्षी आश्रयणी (बरैला ताल) प्रमुख वेटलैण्ड के रूप में चिन्हित किये गये हैं।
- वाल्मीकिनगर व्याघ्र आरक्ष में पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु पटना-वाल्मीकिनगर/मगुराहाँ-पटना दो दिवसीय/तीन दिवसीय टूर पैकेज का पटना से साप्ताहिक संचालन किया गया है।
- वर्ष 2009 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बिहार को वर्ष 2008 के लिए संयुक्त रूप से "इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष पुरस्कार" का प्रथम विजेता घोषित किया गया।
- वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा नेशनल टाईगर कन्जरवेशन ऑथॉरिटी (NTCA) के साथ डवन् हस्ताक्षरित किया गया।
- वर्ष 2009 में राशि का व्यय राज्य स्तर हेतु राज्य कैम्पा (राज्य क्षति पूरक, वन रोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) का गठन किया गया।
- वर्ष 2010 में इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र अवार्ड 2008 से बिहार सम्मानित हुआ।
- वर्ष 2010 में बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पादन नियमावली के अनुसार 10 प्रजातियों- (1) पॉपुलर (सभी प्रजातियाँ) (2) युकिलिप्टस (सभी प्रजातियाँ) (3) कदम्ब (4) गम्हार (5) आम (6) लीची (7) ताड़ (8) खजूर (9) बाँस (लाठी बाँस को छोड़कर) (10) सेमल के काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की बाध्यता से मुक्त किया गया।

वर्ष 2010 से 2015

- वर्ष 2011 में पूरे राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2011 में अस्थायी पौधशाला में पौली बैग में पौधे उगाकर एवं इसको आम जनता सरकारी/ निजी संस्थानों को वितरण कार्य कराया गया।
- वर्ष 2011 में संजय गाँधी जैविक उद्यान, वाल्मिकी व्याघ्र आश्रयणी, राजधानी वाटिका एवं अन्य पार्कों का सम्पोषण एवं विकास कार्य कराया गया।
- वर्ष 2011 में राजगीर की पहाड़ियों को हरा-भरा करने हेतु हवाई जहाज से बीजों का छिड़काव किया गया।
- वर्ष 2012 में पौधों की उत्तरोत्तर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए "मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना' प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2012 में बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में बिहार के वनाच्छादन को 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत तक पहुँचाने हेतु महत्वाकांक्षी योजना **"हरियाली मिशन"** प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2012 में प्राकृतिक वनों के बाहर के वनरोपणों को लोक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु **वृक्ष संरक्षण योजना** प्रारम्भ की गयी।
- वर्ष 2012 में 5 अक्टूबर, 2012 से **"डॉल्फिन दिवस"** का शुभारम्भ किया गया।
- **वर्ष 2012 में द्वितीय कृषि रोड मैप लागू किया गया।** रोड मैप के तहत विभाग द्वारा 18.47 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण कार्य कराया गया। जिससे राज्य के वन आच्छादन में बढ़ोतरी हुई। कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हरित आवरण 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए "हरियाली मिशन" के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन कराया गया। बिहार के हरित आवरण के संबंध में रणनीति तैयार की गई जिससे हरित आवरण की वृद्धि हो सके।

  वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.45 करोड़ पौधा रोपण लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 3.46 करोड़ पौधो का रोपण किया गया है।
- वर्ष 2012 में विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2012) के अवसर पर संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को "पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र" घोषित किया गया। उद्यान में आने वाले आगंतुकों के लिए इको फ्रेंडली पॉलीबैग उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गयी।
- वर्ष 2012 में रक्षा बंधन के अवसर पर वृक्षों को 'रक्षा-सूत्र' में बाँधकर सांकेतिक रूप से वृक्ष तथा पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह आयोजन राज्य के 191 स्थलों पर सम्पन्न हुआ।
- वर्ष 2013 में जन-जागृति हेतु जिलों में 'पर्यावरण-रथ' का शुभारंभ किया गया। इन रथों एवं इनके साथ चल रहे नुक्कड़ नाटक दलों के द्वारा जिलों में एक माह तक सघन भ्रमण कार्यक्रम के तहत नाटकों का मंचन किया गया।
- वर्ष 2013 में बिहार के वनों के मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का लोकार्पण किया गया। बिहार के पक्षियों तथा गांगेय डॉल्फिन पर पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।
- वर्ष 2013 में बिहार वन अकादमी, गया एवं अरण्य भवन, पटना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 2013 में 'पीपल' को राजकीय वृक्ष, 'गेंदा' को राजकीय पुष्प, 'बैल' को राजकीय पशु एवं 'गौरैया' राजकीय पक्षी घोषित किया गया। इससे इनके संरक्षण एवं सुरक्षा में मदद मिली।
- वर्ष 2013 में मुजफ्फरपुर एवं गया में **अनवरत वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र** का निर्माण किया गया।
- वर्ष 2013 में पटना शहर में परिवेशीय ध्वनि प्रदूषण केन्द्र की स्थापना की गयी।
- वर्ष 2013 में बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के विकास हेतु Tiger Conservation Plan तैयार किया गया।
- वर्ष 2013 में राज्य के पांच जिलों यथा गया, नवादा, औरंगाबाद, गया तथा जमुई में केन्दुपत्ती के संग्रहण एवं व्यापार प्रारंभ किया गया।

  बिहार सरकार द्वारा राज्य में ग्राम पंचायतों से केन्दुपत्ती के संग्रहण/भंडारण एवं विपणन का कार्य कराकर स्थानीय लोगों में रोजगार अवसर को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वर्ष 2013 में कृषि वानिकी पॉप्लर (ई0टी0पी0) योजना राज्य में संचालित की गयी। योजनान्तर्गत अल्प अवधि में तैयार होने वाले पौधे के रूप में पॉप्लर प्रजाति को मुख्य रूप से केन्द्रित किया गया।

  कृषि वानिकी इस हेतु कृषि वानिकी-पॉप्लर ई.टी.पी. योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 504.13 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2013 में कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना राज्य में संचालित की गयी। इस योजना में सागवान, महोगनी, शीशम आदि पौधों के रोपण हेतु चयनित लाभुकों को पौधे बरसात के मौसम में अपने खेत/बगान/मेढ़ पर लगाने के लिए 10 रुपया सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।

  कृषि वानिकी- अन्य प्रजाति योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18.5 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गयी। इस योजना में परम्परागत शहरी वानिकी से हटकर शहरों में "ग्रीन बेल्ट" के निर्माण को प्राथमिकता दी गयी है।

  योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों को पौधशाला स्थापना हेतु सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। पौधशाला की स्थापना प्रति वर्ष फरवरी-मार्च माह में की जाती है। इस योजना में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे तैयार होते हैं। पौधों की औसत कीमत 24 (चौबीस रुपये मात्र) का भुगतान तीन किस्तों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 लाख पौधे (500 इकाई) को किसानों/जीविका दीदीयों के द्वारा पौधशालाओं में उगाने का कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2014 में बाँस के पौधों की अनुपलब्धता को देखते हुए उच्च कोटि के बाँस के पौधे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए टी0एन0बी0 कॉलेज, भागलपुर में टिशु कल्चर प्रयोगशाला-सह- उत्पादन केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति दी गयी।
- वर्ष 2014 में शहरों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए 'हर परिसर' योजना प्रारंभ की गयी, जिसमें 175 कैम्पसों के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 234 कैम्पसों में 1,71,029 पौधों का रोपण हुआ।
- वर्ष 2014 में राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों/कार्यकलापों को पर्यावरणीय स्वीकृति देने हेतु **राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण** का गठन किया गया।
- वर्ष 2014 में पटना शहर के पाँच स्थानों पर **ध्वनि प्रदूषण प्रबोधन केन्द्र** की स्थापना की गयी।